भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4276
सोमवार, 27 मार्च, 2023/6 चैत्र, 1945 (शक)

नौकरियों की आउटसोर्सिंग

4276. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की कसौटी का पालन किए बिना नौकरियों की आउटसोर्सिंग से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आउटसोर्सिंग के द्वारा नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) नौकरियों की आउटसोर्सिंग से कुल कितने रोजगार सृजित हुए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): प्रत्येक मंत्रालय/विभाग सामयिक या अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने स्तर पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए सक्षम है। इस संबंध में केंद्रीकृत आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उन सभी अस्थायी नियुक्तियों में किया जाएगा जो 45 दिनों या उससे अधिक समय के लिए होती हैं।

*****